Legal Cell E-Mail:- legalicds@gmail.com

राजस्थान सरकार
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाऐं

क्रमांकः एफ 15(7)(5)/विधि/आईसीडीएस/2016-17 जयपुर, दिनांक :

1. **समस्त उप निदेशक, मबावि।**
2. **समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी।**
3. **समस्त प्रभारी अधिकारी वाद,...............................मुख्यालय।**

विषयः- लाईटस वेबसाईट पर दर्ज न्यायिक प्रकरणों की समीक्षा बैठक बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लाईटस सॉफटवेयर पर दर्ज न्यायिक प्रकरणों की समीक्षा हेतु उप शासन सचिव एवं राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी, लाईटस, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा दिनांक 28.03.2018 को बैठक आयोजित कर बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 28.03.2018 (प्रति संलग्न) के अनुसार प्रकरणों की समीक्षा कर लाईटस सॉफटवेयर पर अपडेशन की सूचना न्याय विभाग को उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देश प्रदान किये है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि संबंधित प्रभारी अधिकारी उक्तानुसार संलग्न बैठक कार्यवाही विवरण के संबंध में अपेक्षित कार्यवाही कर लाईटस सॉफटवेयर पर अपडेट/इन्द्राज कराना सुनिश्चित करे। उक्त निर्देशो की पूर्ण पालना की जावे अन्यथा विपरीत स्थिति में समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार

अति.निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाऐं
राजस्थान जयपुर

क्रमांकः एफ 15(7)(5)/विधि/आईसीडीएस/2016-17/57325-27 जयपुर, दिनांक : 12.4.18

प्रतिलिपि

1. निजी सचिव, शासन सचिव, मबावि, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक, आईसीडीएस, राज. जयपुर।
3. उप शासन सचिव, मबावि विभाग, राज. जयपुर।
4. उप निदेशक एवं एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, (कम्प्यूटर) मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु प्रेषित है।

अति.निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाऐं
राजस्थान जयपुर

राजस्थान सरकार
महिला एवं बाल विकास विभाग

क्रमांकः प0 12(1)म.बा.वि./16/पार्ट-II

जयपुर, दिनांक 28.03.2018

बैठक का कार्यवाही विवरण

न्याय विभाग के निर्देशानुसार लाईट्स वेबसाईट पर दर्ज प्रकरणों की समीक्षा करने हेतु अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 22.03.2018 के क्रम में निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ, जयपुर एवं आयुक्तालय, महिला अधिकारिता, जयपुर के अधिकारियों के साथ माह फरवरी के अन्तिम बुधवार दिनांक 28.03.2018 को दोपहर 12.30 बजे एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें निम्नांकित अधिकारियों ने भाग लिया:-

1. श्री आर.पी.शर्मा,
   वरिष्ठ विधि अधिकारी, महिला अधिकारिता, जयपुर।
2. श्री देवेन्द्र पाल मीणा, उप विधि परामर्शी,
   समेकित बाल विकास सेवाऐं, जयपुर।

उक्त बैठक में आयुक्तालय, महिला अधिकारिता एवं निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाऐं से संबंधित न्यायिक प्रकरणों की निम्नानुसार समीक्षा की गई:-

आयुक्तालय, महिला अधिकारिता के कुल 110 न्यायिक प्रकरणों में रेड केटेगरी केसेज, रिपलाई नोट फाइल्ड केसेज तथा कन्टेम्पट केसेज, निर्णित प्रकरणों की पालना नहीं करने, ड्यू कोर्स के प्रकरण तथा अवमानना आदि से संबंधित प्रकरणों की स्थिति निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	प्रकरणों का विवरण	प्रकरणों की संख्या
1.	रेड केटेगरी	4
2.	रिपलाई नोट फाइल्ड केसेज	31
3.	कन्टेम्पट केसेज	4
4.	निर्णित प्रकरणों की पालना नहीं करने से संबंधित प्रकरण	0
5.	ड्यू कोर्स के प्रकरण	7
6.	बीस वर्ष से अधिक लम्बित प्रकरण	0
7.	अपील करने से शेष प्रकरण	0
8.	ए.ए.जी. बकाया प्रकरण	23

बैठक के दौरान उपस्थित अधिकारी ने अवगत कराया कि सभी न्यायिक प्रकरणों का इन्द्राज लाईट्स सॉफ्टवेयर पर कर दिया गया है तथा भविष्य में समय-समय पर

....2

प्राप्त होने वाले न्यायिक प्रकरणों का इन्द्राज समय पर करने हेतु संबंधितों को निर्देश प्रदान कर दिये गये है। अपडेशन करने से संबंधित कार्य प्रक्रियाधीन है।

न्यायिक प्रकरणों से संबंधित दस्तावेजों (Documents) यथा सम्मन/जवाबदावा/याचिका की प्रति/अधिवक्ता की नियुक्ति संबंधी आदेश/ न्यायालय निर्णय की प्रति आदि–आदि दस्तावेजों को लाईट्स सॉफ्टवेयर पर शेष 15 प्रकरणों को अपलोड कराने की कार्यवाही चल रही है।

निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ के कुल 1272 न्यायिक प्रकरणों में रेड केटेगरी केसेज, रिपालाई नोट फाइल्ड केसेज तथा कन्टेम्पट केसेज, निर्णित प्रकरणों की पालना नहीं करने, ड्यू कोर्स के प्रकरण तथा अवमानना के प्रकरणों की स्थिति निम्नानुसार है:–

क्र.सं.	प्रकरणों का विवरण	प्रकरणों की संख्या
1.	रेड केटेगरी	40
2.	रिपलाई नोट फाइल्ड केसेज	282
3.	कन्टेम्पट केसेज	32
4.	निर्णित प्रकरणों की पालना नहीं करने से संबंधित प्रकरण	175
5.	ड्यू कोर्स के प्रकरण	215
6.	बीस वर्ष से अधिक लम्बित प्रकरण	6
7.	अपील करने से शेष प्रकरण	67
8.	ए.ए.जी. बकाया प्रकरण	0

बैठक के दौरान अवगत कराया गया कि अपडेशन से शेष रहे प्रकरणों में अपडेशन की कार्यवाही तत्काल करने हेतु संबंधितों को निर्देशित कर दिया गया है। जिन प्रकरणों में न्यायालय में जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है उनमें जवाब शीघ्र प्रस्तुत कराने की कार्यवाही हेतु संबंधितों को समय–समय पर निर्देशित किया जा रहा है।

बैठक के दौरान निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाऐं, जयपुर के स्तर पर बीस वर्ष से अधिक की अवधि से लम्बित 06 प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश प्रदान किये गये तथा आगामी बैठक के समय स्थिति से अवगत कराने हेतु भी निर्देश प्रदान किये गये।

बैठक के दौरान निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाऐं, जयपुर तथा आयुक्तालय, महिला अधिकारिता कार्यालय, जयपुर से संबंधित न्यायिक प्रकरणों का लाईट्स सॉफ्टवेयर पर समय पर इन्द्राज कराने, ड्यू कोर्स में लम्बित प्रकरणों, रेड केटगरी केसेज के शीघ्र निस्तारण हेतु राजकीय अधिवक्ता से अविलम्ब सम्पर्क कर आवश्यक कार्यवाही कराने, न्यायिक प्रकरणों में न्यायालय में तत्काल जवाब प्रस्तुत कराने हेतु निर्देश प्रदान किये गये। साथ ही जिन प्रकरणों में न्यायालय आदेशों की पालना नहीं हुई उन प्रकरणों में अविलम्ब कार्यवाही करने के साथ–साथ अवमानना के प्रकरणों की समय पर पालना कराने हेतु भी सभी संबंधितों को निर्देशित कर दिया गया।

 52

निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाऐं, जयपुर से संबंधित न्यायिक प्रकरणों के दस्तावेजों (Documents) यथा सम्मन/जवाबदावा/याचिका की प्रति/अधिवक्ता की नियुक्ति संबंधी आदेश/न्यायालय निर्णय की प्रति आदि–आदि दस्तावेजों को लाईट्स सॉफ्टवेयर पर अपलोड कराने की कार्यवाही के संबंध में अवगत कराया गया कि इस हेतु आवश्यक संशाधन उपलब्ध कराने के बाद उन्हें स्थापित करने की कार्यवाही आज ही की जा रही है, जिसके बाद माह अप्रेल, 2018 के प्रथम सप्ताह से उक्त बाबत कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाएगी।

उक्त के अतिरिक्त बैठक के दौरान निम्नांकित निर्देश भी प्रदान किये गये:–

1. समस्त न्यायिक प्रकरणों में प्रभारी अधिकारी के नियुक्ति आदेश लाईट्स सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही जारी किया जाना सुनिश्चित करावे।
2. न्याय विभाग के निर्देशानुसार न्यायिक प्रकरणों में प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति, प्रकरण प्राप्ति की 15 दिवस की अवधि में ही करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
3. विशेष रूप से रेड केटेगरी के प्रकरणों को शीघ्र निस्तारित करवाने हेतु संबंधित राजकीय अधिवक्ताओं से सम्पर्क कर निस्तारण की कार्यवाही सुनिश्चित करावें। ड्यू कोर्स में लम्बित न्यायिक प्रकरणों के संबंध में संबंधित राजकीय अधिवक्ता से विचार–विमर्श करने के उपरान्त, आवश्यक होने पर शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना–पत्र न्यायालय में दायर करावें।
4. जिन प्रकरणों में राज्य के विरूद्ध स्थगन आदेश पारित है उन प्रकरणों में पारित स्थगन आदेश को वेकेट कराने के लिये न्यायालय में प्रार्थना पत्र अविलम्ब दायर कराने की कार्यवाही करावें।
5. लाईट्स वेबसाईट पर सभी न्यायिक प्रकरणों का इन्द्राज/अपडेशन हर माह की पांच तारीख तक आवश्यक रूप से किया जाना सुनिश्चित करावें।
6. सभी जिला नोडल अधिकारियों को यह भी निर्देशित करावें कि वे प्रत्येक माह के अन्तिम सोमवार को प्रत्येक जिले मे न्याय विभाग द्वारा नियुक्त जिला नोडल अधिकारी एवं जिला कलेक्टर के यहां आयोजित बैठक में उपस्थित होकर लाईट्स सॉफ्टवेयर पर दर्ज किये गये प्रकरणों, अपडेशन किये गये प्रकरणों से संबंधित नवीनतम जानकारी से अवगत करावें।
7. लाईट्स सॉफ्टवेयर पर न्यायिक प्रकरणों से संबंधित दस्तावेजों (Documents) यथा सम्मन/जवाबदावा/याचिका की प्रति/अधिवक्ता की नियुक्ति संबंधी आदेश/न्यायालय निर्णय की प्रति आदि–आदि दस्तावेजों को अपलोड कराने की कार्यवाही समय–समय पर सुनिश्चित करावें।
8. 10 वर्ष से 20 वर्ष तक के लम्बित प्रकरणों तथा 20 वर्ष से अधिक लम्बित प्रकरणों की समीक्षा कर, अविलम्ब कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
9. निर्णय की पालना से शेष प्रकरण तथा अपील करने से शेष प्रकरणों की समीक्षा कर कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

....4

उक्त कार्यवाही के पश्चात् धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

(एन.एल.जेवरिया)
राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी एवं
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर।
2. आयुक्त, महिला अधिकारिता, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, न्याय विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. रक्षित पत्रावली।

राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी एवं
शासन उप सचिव